# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

**पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग**
**आई.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 343/2025**
बजरंग सिंह पुत्र फतेह सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)

——प्रार्थी

**बनाम**

1. अनिता पत्नि नरोत्तम कुमार, जाति जाट, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
2. अनोप कंवर पत्निप स्व0 लादूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
3. इनायत खान पुत्र सतन खान जाति कायमखानी, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
4. ओमप्रकाश पुत्र महादेव (फौत)
   4/1 गायत्री देवी पत्नि स्व0 ओमप्रकाश
   4/2 दामोदर शर्मा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश
   4/3 लीलाधर शर्मा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश
   4/4 सुशील शर्मा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
5. कुलदीप सिंह पुत्र लादूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
6. कौला कंवर पुत्री लादूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
7. ग्यारसीलाल पुत्र महादेव (फौत)
   7/1 शारदा देवी पत्नि स्व0 ग्यारसीलाल
   7/2 जयकिशन पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल
   7/3 नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल
8. गोविन्दराम पुत्र महादेव, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
9. जन्नत बानो पत्नि अनवर अहमद, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
10. जरीना बानो पत्नि जाकीर खान, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
11. पूजा कंवर पुत्री लिछमणसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
12. मनोज कंवर पुत्री लिछमणसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
13. रजब अली पुत्र इकबाल खान, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
14. रणवीर सिंह पुत्र लादूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
15. विनोद पुत्र महादेव, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
16. शहनाज बानो पत्नि तालीम अली, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
17. सकीरा बानो पत्नि महमूद खान, जाति कायमखानी, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
18. सुमन कंवर पुत्री लादूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हुकमपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)
19. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढा, जिला झुंझुनूं (राज0)
20. श्रीमती सुप्रिया कालेर, सहायक कलक्टर, झुंझुनूं।

——अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

----

प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व वाद स्थानान्तरण करने।

----

उपस्थित :–

1. श्री श्रवण सिंह, एडवोकेट– आवेदक की ओर से।
2. श्री उम्मेदराज सैनी/श्री रविराज, अभिभाषक– अनावेदक सं0 1, 3, 9, 10, 13, 16 व 17 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक संख्या 19 व 20 की ओर से।
4. अप्रार्थी सं0 2, 4 लगा0 8, 11, 12, 14, 15 व 18 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

## आदेश

दिनांक 28.04.2026

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित अनुसार श्रीमान्जी की सेवामे पेश है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद उनवानी बजरंग सिंह बनाम अनिता आदि, मु0नं0 627/2024 न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0 ट्रे) मे विचाराधीन है। उक्त वाद मे तारीख पेशी दिनांक 25.08.2025 नियत है। प्रार्थी गत तारीख पेशी पर न्यायालय मे आया तो अप्रार्थी सं0 1 व 13 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि आप कुछ भी कर लो वाद का निर्णय तो हम जिस प्रकार से चाहेगें वैसे ही करवायेंगें। हमारी अधिकारी से बात हो गई है। न्यायालय मे तारीख पेशी होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 13 रजब अली पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुप्रिया कालेर के चेम्बर मे भी मिलकर आया। अप्रार्थी संख्या 1, 10, 13, 16 व 17 को लगातार चुनौती दे रहे है कि पीठासीन अधिकारी से हमारी जान पहचान है जो उक्त मुकदमे का निर्णय हमारे पक्ष मे ही करेंगें। उपरोक्त अप्रार्थीगण की धमकियों से, पीठासीन अधिकारी चेम्बर मे मिलने से व पीठासीन अधिकारी के रवैये से प्रार्थी को श्रीमान् पीठासीन अधिकारी से उक्त वाद मे निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नही है। इस उक्त वाद को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। सम्मान व विश्वास बना रहे है। इसलिए उक्त वाद को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जावे जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान्ती की सेवामे पेश है। उक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0 ट्रे) झुंझुनूं मे विचाराधीन है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का श्रीमान्जी को पूरा पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं मे विचाराधीन नियमित राजस्व वाद उनवानी बजरंग सिंह बनाम अनिता आदि मु0नं0 627/2024 को अन्य अधीनस्थ न्यायालय मे स्थानान्तरित करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सहायक कलक्टर, झुंझुनूं से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सहायक कलक्टर, झुंझुनूं ने पत्रांक 3857 दिनांक 10.09.2025 को प्रार्थना पत्र के कम मे बिन्दूवार प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के सामक्ष पेश होने वाले प्रकरणों मे कार्यवाही किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने अथवा किसी दबाव मे आकर नही की जाती है बल्कि दोनों पक्षों की दलीलों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात,साक्ष्य सबूतों के मध्यनजर गुणागुण के आधार पर निर्णय किया जाता है। फिर भी आवेदक को यह अंदेशा है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय मे उन्हे न्याय मिलने की उम्मीद कम है तो आवेदक के न्यायिक हितों के मध्यनजर उक्त प्रकरण किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद उनवानी बजरंग सिंह बनाम अनिता आदि, मु0नं0 627/2024 न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0 ट्रे) मे विचाराधीन है। उक्त वाद मे तारीख पेशी दिनांक 25.08.2025 नियत है। प्रार्थी गत तारीख पेशी पर न्यायालय मे आया तो अप्रार्थी सं0 1 व 13 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि आप कुछ भी कर लो वाद का निर्णय तो हम जिस प्रकार से चाहेगें वैसे ही करवायेंगें। हमारी अधिकारी से बात हो गई है। न्यायालय मे तारीख पेशी होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 13 रजब अली पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुप्रिया कालेर के चेम्बर मे भी मिलकर आया। अप्रार्थी संख्या 1, 10, 13, 16 व 17 को लगातार चुनौती दे रहे है कि पीठासीन अधिकारी से हमारी जान पहचान है जो उक्त मुकदमे का निर्णय हमारे पक्ष मे ही करेंगें। उपरोक्त अप्रार्थीगण की धमकियों से, पीठासीन अधिकारी चेम्बर मे मिलने से व पीठासीन अधिकारी के रवैये से प्रार्थी को श्रीमान् पीठासीन अधिकारी से उक्त वाद मे निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नही है। इस उक्त वाद को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। सम्मान व विश्वास बना रहे है। इसलिए उक्त वाद को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जावे जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान्ती की सेवामे पेश है। उक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0 ट्रे) झुंझुनूं मे विचाराधीन है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का श्रीमान्जी को पूरा पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं मे विचाराधीन नियमित राजस्व वाद उनवानी बजरंग सिंह बनाम अनिता आदि मु0नं0 627/2024 को अन्य अधीनस्थ न्यायालय मे स्थानान्तरित करने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी सं0 2, 4 लगा0 8, 11, 12, 14, 15 व 18 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2, 4 लगा0 8, 11, 12, 14, 15 व 18 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

वकील अप्रार्थी सं0 1, 3, 9, 10, 13, 16 व 17 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में रजब अली को पीठासीन अधिकारी से मिलना बताते है जबकि सबके विरूद्ध अदालत मातहत में एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। विचाराधीन वाद में प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। बजरंग सिंह खुद विभाजन प्रस्ताव बनवाकर लाता है। खुद ही आपत्ति करता है। आपत्ति पर दुबारा विभाजन प्रस्ताव बनवाये है। अदालत मातहत के यहां हमने विभाजन प्रस्ताव पर सहमती दी है। प्रार्थी द्वारा अनावश्यक देरी के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण निराधार तथ्यों पर पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक प्रार्थी सं0 19 व 20 ने अपनी बहस में वकील आवेदक के कथनों का विरोध किया तथा कथन किया कि सहायक कलक्टर झुंझुनू द्वारा पक्षकारान् को समुचित रूप से सुना गया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य आधारहीन है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) झुंझुनू के यहां विचाराधीन वाद संख्या 627/2024 उनवानी बजरंग सिहं बनाम अनिता आदि को अन्यत्र राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई तर्क या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे प्रतीत होता हो न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) झुंझुनू द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों को साबित करने मे विफल रहा है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश प्रति सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) झुंझुनू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं